न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर, जिला नागौर (राज.)

पीठासीन अधिकारी -- मोहन लाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी संख्या : 06 / 2019

प्रार्थी	वनाम	अप्रार्थीगण
मांगीलाल पुत्र दौलाराम जाति लखारा निवासी खींवसर तहसील खींवसर जिला नागौर		1 हरीराम पुत्र दौलाराम जाति लखारा निवासी खींवसर तहसील खींवसर जिला नागौर। 2 ग्राम पंचायत खींवसर जरिये ग्रामसेवक

उपस्थिति–

1. श्री नरेन्द्र सारस्वत अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री ठाकुर प्रसाद राठी अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायतराज अधिनियम 1994

निर्णय दिनांक 22.07.2022

1– यह निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत खींवसर द्वारा मिसल सं. 97 / 2004 जिसमे अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में जारी पट्टा सं. 32 दिनांक 08.06.2004 जारी किया गया, से असंतुष्ट होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। प्रार्थी की निगरानी दिनांक 17.01.2019 को दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से श्री ठाकुर प्रसाद राठी अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 02 बावजूद सूचना के न्यायालय में गैर हाजिर रहा है। प्रार्थी ने अपनी निगरानी के समर्थन में पटटा सं. 32 दिनांक 08.06.2004 की फोटोप्रति, ग्राम पंचायत के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि, हरिराम के बयान की फोटोप्रति पेश की। अधीनस्थ ग्राम पंचायत का रेकर्ड मंगाया गया।

2– उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निगरानी में वर्णित तथ्यों को दुहराते हुए दलील दी है कि –

2(1)–ग्राम पंचायत का अप्रार्थी संख्या 01 हरिराम के नाम जारी किया गया पुनरीक्षणाधीन पटटा अवैध, अनाधिकृत, विधि विरूद्व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत तथा बिना क्षेत्राधिकार के होने से पट्टा अपास्त किये जाने योग्य है।

2(2)–पट्टा जारी करने से पहले किसी प्रकार की आपति विज्ञप्ति जारी नहीं की गई, न ही मौका निरीक्षण किया गया और न ही राजस्थान पंचायती राज नियम के नियम 141 से नियम 160 की कोई पालना नहीं की गई, जबकि इन नियमों की पालना करना आज्ञापक तथा अनिवार्य था, इसलिए भी पुनरीक्षणाधीन पटटा खारिज किये जाने योग्य है।

2(3)–इस सम्पति का पटटा प्राप्त करने हेतु अप्रार्थी संख्या 01 हरिराम ने आवेदन पत्र ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत किया, उसमें इस जायगा को बडेर की पुश्तैनी जायगा पीढियों से कब्जासुद होना बताकर आवेदन किया था, जवकि वास्तविक स्थिति यह है कि यह सम्पति कभी भी बडेर की पैतृक सम्पति नहीं रही है, अपितु प्रार्थी तथा अप्रार्थी की खरीदसुदा सम्पति रही है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 01 हरीराम ने वास्तविक तथ्यों को छुपाकर अप्रार्थी ग्राम पंचायत से मिलावट कर झुठे तथ्यों तथा झुठे कथनो पर पटटा प्राप्त किया हैं, जो खारिज किये जाने योग्य है।

2(4)–ग्राम पंचायत में हरिराम ने शपथ पत्र पेश किया, उसमें भी इस सम्पति को मकान बताया, जबकि यह मकान नहीं होकर दुकाने है। सम्पति पीढियों से बडेर की होना बताया तथा 40 वर्षो से अधिक समय से अपना कब्जा होना बताया, इस प्रकार सभी झुठे कथन हरिराम ने किये थे तथा ग्राम पंचायत ने इन तथ्यों बाबत किसी प्रकार की जांच कराये वगैर आवेदन तथा शपथ पत्र में लिखे झुठे तथ्यों के आधार पर पट्टा जारी करने में कानूनी गलती की है। यह सम्पति न तो बडेर की सम्पति थी, न यहां मकान था, न चालीस से ज्यादा वर्षो से अप्रार्थी का कब्जा था, मगर अप्रार्थी हरीराम ने ग्राम पंचायत से मिलावट कर प्रार्थी के संयुक्त स्वामित्व की सम्पति का अकेले ने पटटा प्राप्त करने में कानूनी गलती की हैं, इसलिए भी पट्टा खारिज किये जाने योग्य है।

2(5)–आवेदन में जानबूझकर सम्पति संयुक्त रूप से खरीद की होने, प्रार्थी के संयुक्त स्वामी काबिज होने के तमाम तथ्यों को जानबूझकर उल्लेख नहीं किया गया। दुकानों का पटटा देने का ग्राम पंचायत को अधिकार भी नहीं है।

अपर कलक्टर, नागौर

2(6)–पटटा जारी करने से पूर्व प्रार्थी को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया, न ही साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिया गया और न ही फर्जी रूप से हरिराम द्वारा तैयाद की गई लिखत का खण्डन करने हेतु जवाब का मौका दिया गया। पटटे की सारी कार्यवाही अपीलांट के पीठ पीछे तैयार की गई। सम्पूर्ण कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से पटटा खारिज होने योग्य है।

2(7)–फर्जी व कूटरचित लिखत पटटा जारी होने के वाद पत्रावली में शामिल की गई है। अगर आवेदन के साथ पेश होती तो इसका उल्लेख आवेदन शपथ पत्र व वयानों में अवश्य होता। हरिराम तथा ग्राम पंचायत ने आपस में मिलीभगत कर धोखाधडी से तैयार की गई लिखत पटटा जारी होने के वाद शामिल पत्रावली की गई है।

3– वकील अप्रार्थी सं. 1 द्वारा वहस शुरू करते हुए तर्क दिया गया कि–

3(1)–उक्त प्रकरण में सर्वप्रथम जो विधिक विन्दू अन्तर्लिप्त है यह विधिक विन्दू परिसीमा अधिनियम के आधार पर उक्त निगरानी मयाद वाहर है। चूंकि पटटा जारी करने की दिनांक 08.06.2004 को 15 वर्ष पश्चात वर्ष 2019 में चुनोती देना पूर्णतया असाधारण एवं अत्यधिक विलम्व है जिस विलम्व को किसी भी आधार पर माफ या कन्डोन नहीं किया जा सकता। विदित रहे कि इस संवंध में प्रार्थी की ओर से धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 का आवेदन पत्र अवश्य प्रस्तुत किया गया है जिसका अप्रार्थी संख्या एक की और सें विधिवत सशपथ प्रत्युतर दिया गया है। प्रत्युतर देते हुए आवेदन पत्र में वर्णित कथनों को अक्षरसः खण्डन किया गया है। प्रार्थी के पास उक्त अत्यधिक देरीना मयाद वाहर निगरानी को मयाद के अन्दर लाने का कोई पर्याप्त एवं युक्तीयुक्त कारण भी नहीं है। इस संवंध में प्रार्थी ने दीवानी न्यायालय में लम्वित वाद में अप्रार्थी संख्या एक की और से प्रस्तुत जवाव दावा के आधार पर हस्तगत पटटे की जानकारी होना वताया है जवकि प्रार्थी का यह कथन पूर्णतया झूठा एवं कपोल कल्पित है। क्योंकि उक्त पटटे की प्रार्थी को जिस दिन पटटे हेतु आवेदन पत्र पेश किया था उस दिन से लेकर जिस दिन पटटा जारी हुआ उस दिन तक कि समस्त कार्यवाही की शुरू से ही भलीभांति जानकारी रही है। क्योंकि यह सारी कार्यवाही ही स्वयं प्रार्थी ने सम्पादित एवं निष्पादित करवायी है। यहां पर यह कथन करना प्रांसगिक रहेगा कि उक्त सम्पति के पटटे हेतु जो आवेदन पत्र पेश किया गया था उसके साथ जो नक्शा पेश हुआ उक्त नक्शा वनाने वाले के हस्ताक्षर पर इसी प्रार्थी मांगीलाल के हस्ताक्षर मौजूद है, उक्त पटटा पत्रावली में आक्षेप आमंत्रित करने का नोटिस जो चस्पा किया गया था उसकी पुस्त पर वतौर मौतविरान इसी प्रार्थी मांगीलाल के हस्ताक्षर है, उक्त पटटा पत्रावली में जो मौतविरान के वयान हुए उसमें भी इसी प्रार्थी मांगीलाल के हस्ताक्षर है। उक्त पटटा पत्रावली में अप्रार्थी संख्या एक हरिराम द्वारा जो शपथ पत्र दिया गया था उक्त शपथ पत्र का स्टाम्प भी प्रार्थी मांगीलाल अपने हस्ते लेकर आया था एवं अन्ततः दिनांक 08.06.2004 को जो पटटा जारी हुआ है उक्त पटटा पर शास्ती संख्या 2 के रूप में इसी प्रार्थी मांगीलाल के हस्ताक्षर मौजद है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी मांगीलाल का यह कथन कि उसे उक्त पटटे पहले कोई जानकारी नहीं थी। अप्रार्थी संख्या एक द्वारा सिविल वाद में जवाव दावा प्रस्तुत करने पर सर्व प्रथम उक्त पटटे की जानकारी होने का कथन करना पूर्णतया हास्यास्पद होने के साथ साथ विचित्र एवं सन्देहास्पद है। इस प्रकार से उक्त निगरानी प्रथम दृष्टया मयाद वाहर होने के कारण केवल उक्त विधिक आपति मात्र के आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है तथा अपने कथन के समर्थन में सिविल कोर्ट केसेज 2012 पार्ट 2 सुप्रीम कोर्ट पेज 1, आर.बी.जे.2012 राजस्थान पेज 686, आर.आर.डी. 2011 राजस्थान पेज 228, आर.वी.जे. 2011 राजस्थान पेज 352, आर.बी.जे. 2010 राजस्थान पेज 289, आर.बी.जे. 2010 सुप्रीम कोर्ट पेज 628, आर.आर.डी. 2009 राजस्व मण्डल पेज 150, आर.आर.डी. 2009 राजस्व मण्डल पेज 661, आर.आर.डी. 2008 राजस्व मण्डल पेज 817, डी.एन.जे 2003 (3) राजस्थान पेज 1266, आर.आर.डी.2002 राजस्व मण्डल पेज 26, आर.आर.डी.2001 राजस्व मण्डल पेज 35 नजीरे पेश की।

3(2)– उक्त प्रकरण में प्रार्थी जिस पटटे की बात कर रहा है उस पटटा पत्रावली में विविधक के कौनसे प्रावधानों एवं प्रक्रिया की पालना नहीं हुई है, के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। केवल मात्र इतना लिख देना कि फला धारा की पालना नहीं हुई है इससे यह नहीं माना जा सकता कि किसी विधिक प्रावधानों की एवं प्रक्रिया की पालना नहीं हुई हो। ऐसे आधारो के अभाव में प्रार्थी की विषयवस्तु निगरानी सें संबंधित नहीं रहती है तथा ऐसी निगरानी सव्यय खारिज किये जाने योग्य होती है।

3(3)– उक्त प्रकरण में प्रार्थी जिस पटटे की बात कर रहा है उस पटटा पत्रावली के बारे में प्रार्थी को आवेदन पत्र पेश होने की तिथी सें लेकर पटटा जारी होने के तक की सम्पूर्ण जानकारी रही है वस्तुतः उक्त पटटा पत्रावली में जो नक्शा वनाया गया है वह नक्शा स्वयं प्रार्थी मांगीलाल के हाथ का है जो आपति विज्ञप्ति जारी हुई है उसमें जो वश्पानंगी के गवाह हे उसमें स्वयं प्रार्थी मांगीलाल के हस्ताक्षर है यहां तक कि अप्रार्थी हरिराम ने जो शपथ पत्र पेश किया है उसका स्टाम्प भी यही प्रार्थी मांगीलाल क्रय करके लाया था जो पटटा जारी हुआ है उसमें भी साक्षी नम्वर 2 के स्थान पर इसी प्रार्थी मांगीलाल के हस्ताक्षर अंकित है। इस प्रकार से उक्त प्रकरण में जो पटटा पत्रावली कायम हुई तथा चली उसके प्रत्येक मुकाम एवं प्रत्येक स्टेट पर मांगीलाल का रोल रहा है। ऐसी स्थिति में मांगीलाल यह नहीं कह सकता कि उक्त पटटा के संवंध में उसे कोई जानकारी नहीं रही हो इस संबंध में प्रार्थी द्वारा जो भी कथन किये गये है वे समस्त कथन केवल मात्र कपोल कल्पित सारहीन कथन है।

अपर कलक्टर, नागौर

3(4)– उक्त निगरानी में प्रार्थी ने आपत्ति–विज्ञप्ति जारी नहीं करने का आरोप लगाया है जबकि उक्त प्रकरण में जो आपत्ति–विज्ञप्ति दिनांक 21.04.2004 को जारी हुई है जिसकी चश्पानंगी के मौतबिरो में यही प्रार्थी मांगीलाल के हस्ताक्षर अंकित है ऐसी स्थिति में प्रार्थी मांगीलाल द्वारा यह आरोप लगाना सारहीन एवं बलहीन होने के साथ साथ हास्यास्पद व झूठा भी है।

3(5)– उक्त प्रकरण मे सम्पूर्ण पटटा पत्रावली की कार्यवाही इसी प्रार्थी मांगीलाल द्वारा की गई है व करवायी गई है। उक्त पटटा जारी करने के संबंध में मांगीलाल ने अपनी पूर्ण स्वतंत्र सहमति एवं स्वीकारोक्ति दे रखी है। कोई व्यक्ति अपने पूर्व में दी गई स्वीकारोक्ति एवं आचरण के विपरीत किसी प्रकार का कोई कथन करने सें विबन्धित है। इस प्रकार सें उक्त प्रकरण में विबन्धन के सिद्वांत के आधार पर भी उक्त निगरानी खारिज किये जाने योग्य है।

3(6)– उक्त निगरानी दूषित अभिवचनों पर एवं अनुतौश पर आधारित है सम्पूर्ण निगरानी में पटटा खारिज करने की बात कहीं गई है जबकि धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के अनुसार पुनरीक्षण याचिका पटटा खारिज करने के लिए पेश नहीं होती है पुनरीक्षण याचिका किसी प्रस्ताव या आदेश को लेकर पेश की जाती है इस प्रकार सें उक्त निगरानी दूषित अभिवचन एवं अनुतोष पर आधारित होने के कारण प्रथम दृष्टया निरस्त किये जाने योग्य है।

3(7)– उक्त निगरानी को पढने मात्र से ही प्रार्थी का झूठ सामने आ जाता है जहां निगरानी की मद संख्या 3 में प्रार्थी ने संयुक्त खरीदसुदा सम्पति बताते हुए खुद के द्वारा लिखी गई लिखत को फर्जी बताया है जबकि उक्त लिखत को फर्जी प्रार्थी ने पहली बार बताया है आज सें पूर्व जिने भी प्रकरण चले है उनमें उक्त लिखत को फर्जी नहीं बताया है इसके अतिरिक्त उक्त अचल सम्पति जिसका पटटा जारी हुआ है उसका विक्रय विलेख दिनांक 25.02.1985 की पुस्त पर प्रार्थी मांगीलाल ने इन्द्राज करते हुए अपना हिस्सा अप्रार्थी संख्या एक हरीराम को विक्रय करना बताते हुए कब्जा सौपने की बात कहीं है एवं उक्त सम्पूर्ण सम्पति का पटटा अगर अप्रार्थी संख्या एक हरीराम अपने नाम सें बनाता है तो इसमें प्रार्थी मांगीलाल के हस्ताक्षर अंकित है ऐसी स्थिति में कैसे मान लिया जावे कि लिखत भी फर्जी है और उक्त पृष्ठाकंन जिसके बारे में हालाकि प्रार्थी ने कोई कथन नहीं किया है क्या इसे भी फर्जी मान लिया जावे, ऐसा कुछ भी नहीं है वस्तुतः प्रार्थी की नीयत में तूर आ चुका है तथा अपने द्वारा पूर्व में बेची गई सम्पति को लेकर अनुचित राशि ऐंठने के उद्देश्य सें इस प्रकार की झूठी कार्यवाहियां करके अप्रार्थी संख्या एक को महज में तंग व परेशान कर रहा है इसके अलावा और कुछ भी नहीं है।

3(8)– सम्पति के स्वामित्व संबंधी करेक्टर को लेकर निगरानी की कार्यवाही में किसी प्रकार का कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाया जा सकता सम्पति के करेक्टर की विषयवस्तु निगरानी की विषयवस्तु नहीं हो सकती है।

3(9)– प्रार्थी स्वच्छ दामन सें न्यायालय हाजा के समक्ष नहीं आया है जहां सम्पूर्ण पटटा पत्रावली में प्रार्थी के जगह जगह हस्ताक्षर अंकित है उसने स्वयं ने लिखत लिखी है एवं विक्रय पत्र पर पृष्ठाकंन करके दिया है सब जगह उसकी अहम भूमिका रही है और उस अहम भूमिका को दर किनार करते हए उक्त सम्पति हडप करने के उद्देश्य सें इस प्रकार सें कार्यवाही करना कतई न्यायोचित नहीं है जो इस बात का पुख्ता सबूत है कि प्रार्थी स्वच्छ दामन सें नहीं आया है।

3(10)– प्रार्थी द्वारा जब उक्त अचल सम्पति में बनने वाले अपने आधे हिस्से को इकरारनामा के द्वारा जब विक्रय कर दिया गया था तत्पश्चात विक्रय पत्र पर पृष्ठाकंन कर दिया गया उसके पश्चात सम्पूर्ण पटटा पत्रावली में कहीं पर नक्शा नवीस की जगह कहीं पर गवाहान के रूप में एवं कहीं पर स्टाम्प लाने वाले व्यक्ति के रूप में हस्ताक्षर अंकित है ऐसी स्थिति में प्रार्थी मांगीलाल अपने द्वारा पूर्व में की गई उपरोक्त स्वीकारोक्ति सें विपरीत कोई कानि करने सें विबन्धित है विबन्धन का सिद्वान्त हस्तगत प्रकरण में हूबहू लागू होता है।

3(11)– जिस लिखित को प्रार्थी फर्जी होना बताता है हालांकि उक्त लिखत किसी भी ऐंगल सें फर्जी नहीं है उक्त लिखत का स्टाम्प स्वयं प्रार्थी लेकर आया है तथा उक्त लिखत पर स्वयं प्रार्थी के दोनो पुत्रो के हस्ताक्षर तक अंकित है ऐसी स्थिति में यह कैसे मान लिया जावे कि प्रार्थी के हस्ताक्षर गलत रूप या फर्जी किये गये है। अतः मयाद बाहर एवं अन्य तथ्यो पर भी उक्त निगरानी चलने योग्य नहीं है। तथा अपने कथन के समर्थन में डी. एन.जे. 2008 पार्ट 2 राजस्थान पेज 735 तथा डी.एन.जे. 2012 पार्ट 2 पेज 602 नजीरे पेश की।

4– पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा मिसल सं. 97/2004 जिसमे अप्रार्थी सं. 1 हरीराम के पक्ष में जारी पट्टा सं. 32 दिनांक 08.06.2004 जारी किया गया, को निरस्त किये जाने को लेकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। पटटे हेतु आवेदन में जो नक्शा पेश हुआ था उस आवेदन में प्रार्थी मांगीलाल के हस्ताक्षर होना प्रतीत होता है, पट्टा पत्रावली में आक्षेप आमंत्रित करने के नोटिस में भी प्रार्थी मांगीलाल के हस्ताक्षर होना प्रतीत होता है, पटटा पत्रावली में अप्रार्थी संख्या 01 हरिराम द्वारा जो शपथ पत्र पेश किया उक्त शपथ पत्र के स्टाम्प पर भी प्रार्थी मांगीलाल के हस्ताक्षर होना प्रतीत होता है तथा जारी पट्टा संख्या 32 पर भी प्रार्थी मांगीलाल के हस्ताक्षर किया जाना प्रतीत होता है उक्त सभी दस्तावेजों से

अपर कलक्टर, नागौर

प्रतीत होता है कि प्रार्थी को उक्त पटटे की जानकारी शुरू से ही थी। ग्राम पंचायत द्वारा प्राप्त पटटा रजिस्टर वर्ष 2004 के अनुसार मिसल सं. 97/2004 से पटटा सं. 32 अप्रार्थी संख्या 01 हरिराम के नाम से जारी किया जाना रिकार्ड से सावित है तथा बैठक कार्यवाही रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 07 के अनुसार पट्टा शुल्क जमा करवाया जाना प्रतीत होता है। पटटा जारी करने से आज्ञप्ति विज्ञप्ति का नोटिस भी जारी किया गया है। ऐसी स्थिति मे पटटा विना विधिक प्रक्रिया के जारी किया गया हो, उपलब्ध अभिलेख से यह पूर्णतया साबित नही होता, ऐसी स्थिति में आदेश जैर निगरानी में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

5– उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है।

6– निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल खटनावलिया)
अपर कलक्टर, नागौर
अपर कलक्टर, नागौर